भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4128

जिसका उत्तर 19 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

उत्तर प्रदेश में बाढ़ के पानी का उपयोग

4128. श्री अशोक कुमार रावत:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा उत्तर पद्रेश की नदियों में बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का बाढ़ के पानी को संग्रहीत करके नदि में उसका उपयोग करने के लिए किसी उपाय/परियोजना का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्तर प्रदेश के जिलों में प्रत्येक वर्ष बाढ़ के कारण बर्बाद होने वाले पानी का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष बाढ़ के कारण बर्बाद होने वाले बाढ़ के पानी की घनलीटर मात्रा संग्रहीत किए जाने संबंधी कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): बाढ़ प्रबंधन और कटावरोधी योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। केन्द्र सरकार गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन संबंधी तकनीकी मार्गदर्शन और संवर्धनात्मक वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए राज्यों के प्रयासों में मदद करती है।

भारत सरकार ने XIवीं और XII योजना के दौरान नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कटाव रोधन, जल निकासी विकास, समुद्र कटाव रोकने आदि से संबंधित कार्यों को करने के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने हेतु बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम को कार्यान्वित किया था, जिसे वर्ष 2017-18 से 2020-21 की अवधि में "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" (एफएमबीएपी) के एक घटक के रूप में जारी रखा गया था जिसे आगे भी वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि तक बढ़ा दिया गया। एफएमबीएपी के तहत, उत्तर प्रदेश को इस योजना की शुरूआत से कुल 692.75 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) उत्तर प्रदेश में 44 बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्रों (39 स्तर एवं 5 अंतर्वाह) के लिए बाढ़ पूर्वानुमान जारी करता है।

(ख) से (घ): भारत सरकार ने वर्ष 1980 में एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की थी और राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत नदियों को परस्पर जोड़ने (इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स) का कार्य सौंपा गया है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के अंतर्गत नदियों को परस्पर जोड़ने (इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स) की योजना जल की कमी वाले क्षेत्रों में अधिशेष जल भंडारण और अंतरण के लिए तैयार की गई है जिससे सूखे के दौरान होने वाली परेशानियों को कम किया जा सके और वार्षिक रूप से आने वाली बाढ़ से होने वाले विध्वंस को भी कम किया जा सके। बाढ़ संभावित/जल अधिशेष नदी बेसिनों से बाढ़ के पानी को पानी की कमी वाले क्षेत्रों की ओर मोड़ा जाएगा और कमान क्षेत्रों में भूजल तालिका (टेबल), टैंकों और नहरों का भी पुनर्भरण किया जाएगा।

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत 30 लिंक परियोजनाओं की पहचान की गई है, प्रायद्वीपीय घटक के तहत 16 लिंक परियोजनाओं और हिमालयी घटक के तहत 14 लिंक परियोजनाओं की पहचान की गई है।

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को लाभान्वित करने वाली लिंक परियोजनाओं का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक

"उत्तर प्रदेश में बाढ़ के पानी का उपयोग" के संबंध में संबंधित लोकसभा में दिनांक 19.12.2024 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 4128 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र.सं.	नाम	वार्षिक सिंचाई (लाख हेक्टेयर)	घरेलू और औद्योगिक (मिलियन क्यूबिक मीटर)	जल विद्युत (मेगावाट)	स्थिति
1.	केन-बेतवा लिंक	10.62	194	103 मेगावाट (जल) और 27 मेगावाट (सौर)	डीपीआर पूरा कर लिया गया है और परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है
2.	कोसी-घाघरा लिंक	8.35	0	-	एफआर पूर्ण
3.	गंडक गंगा लिंक	34.58	700	4375 (बांध पीएच) और 180 (नहर पीएच)	एफआर पूरा करके परिचालित किया गया
4.	घाघरा यमुना लिंक	27.84	1391	10884	मसौदा एफआर पूर्ण
5.	सारदा यमुना लिंक	2.95	3054	6620	एफआर पूर्ण
6.	चुनर-सोन बैराज लिंक	0.67	-	-	मसौदा एफआर पूर्ण

*****